संख्या–4913 / 9–आ–1–1999–120विविध / 98

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
   उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
   उत्तर प्रदेश।

2. **उपाध्यक्ष,**
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक : 16 अक्टूबर, 1999

विषय :स्वैच्छिक शमन योजनान्तर्गत भू–प्रयोग परिवर्तन से सम्बन्धित प्रकरणों के निस्तारण हेतु निर्धारित प्रक्रिया में स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 4055 / 9–आ–1–1999–120 विविध / 98 दिनांक 25.8.1999 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा स्वैच्छिक शमन योजनान्तर्गत भू–प्रयोग परिवर्तन से सम्बन्धित प्रकरणों के निस्तारण हेतु प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2. उक्त शासनादेश के प्रस्तर 3 (ii) की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि महायोजना अथवा जोनल प्लान में भू–उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित प्रकरण निम्न सूचनाओं / विवरणों सहित शासन की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किए जाएंगे :–

(i) विचाराधीन भूखण्डों / स्थलों की महायोजना मानचित्र पर स्थिति।

(ii) विचाराधीन भूखण्डों / स्थलों के अलग–अलग साईट प्लान / सजरा मानचित्र पर स्थिति; भूखण्ड संख्या / सजरा संख्या एवं क्षेत्रफल।

(iii) भू–प्रयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में प्रत्येक प्रकरण पर समिति की अनुशंसा तथा समिति के सदस्यों अथवा उपाध्यक्ष के हस्ताक्षर।

(iv) भू–प्रयोग परिवर्तन के प्रस्ताव पर प्राधिकरण बोर्ड / आवास परिषद बोर्ड द्वारा पारित संकल्प की प्रति।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव।

संख्या–4913 / (1) / 9–आ–1–1999–120 विविध तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
3. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु।

आज्ञा से,

रामवृक्ष प्रसाद,
संयुक्त सचिव।